

शेपर ~~क~~

राजकीय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
27/17	इजराफ	केसोली	खरडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राम-चरण	बनाम	राम-चरण	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

3/21/17
 वकील डिडीआर द्वारा एक धारा 133 अंतर्गत धारा 133 द्वारा विरुद्ध (KANDAM) के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अन्तर्गत उन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार पर जय के अन्तर्गत के अन्तर्गत तलब कर प्रकरण दिनांक 27/17 को पेश हो

25/17
 वकील फरीकन उपस्थित/पत्रावली नोक अदालत/कोम्य कोर्ट शेपर पर बारां दिनांक 25/17 को पेश हो

18/17
 राजकीय लोक अदालत अभिवादन न्याय आगके द्वार 2017 शेपर तहसील खरडा के अति-आवश्यक रिपोर्ट कर अन्तर्गत धारा 133 का पेश कोर्ट नही मिले पालना नही हो सब पत्रावली पेश हुई, राजस्व लोक अदालत/कोम्य कोर्ट में पत्रावली का निर्णय/कार्यवाही हो पाई है, अतः पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 18/17 को पेश हो

8/17
 दिनांक 31/10/17 दिनांक 29/11/17

राजकीय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

24/17
 वकील डिडीआर उजे/तहसील खरडा के इजराफ जिला शाप कर रिपोर्ट दि. 26/12/17 को पेश हो

26/17
 दिनांक 26/3/18 दिनांक 18/4/18

10/4/18
 आज पीजरीत के अन्तर्गत कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 20/6/18

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

5-3-25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्लीडर उपा तहसील ले रिपोर्ट कडाया पुनः हमरप पत्र खिजा जाये पत्रावली काठे रिपोर्ट दिनांक 11-3-25 को पेश है।

11-3-25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्लीडर उपा तहसील ले पालन रिपोर्ट अपाए। पुनः तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट दिनांक 19-3-25 को पेश है।

19-3-25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्लीडर उपा तहसील ले पालन रिपोर्ट कडाया। वकील डिक्लीडर का कपन डेक्लेरिडी की पालन है। पुकी की उकरप में खिती उकरप की कार्रवाही नहीं पाए है। उकरप डिपेंडिग खिपा जावे। उकरप शेष खिपा जावे। पत्रावली फिलहाल सुगाट डेक्लेर काड तहसील तहसील ले दाखिल कपन है।